



Phone & Fax no. 0135-2658294

E-mail: cfshivalik@yahoo.co.in



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 2247 / 12411 दिनांक, देहरादून, 27 मार्च 2023

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषय:- ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/146663/2021 उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के मानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के डिजाईन किमी 0.00 से किमी 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 19.8345 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 3085/12-1 दिनांक 20.03.2023
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिससे विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव का ऑनलाईन अवलोकन करने पर संज्ञान में आया है कि उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की हवाई दूरी राजाजी टाईगर रिजर्व से 0.497 किमी है, जो कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं०-202(1995) टी०एन०गोडावर्मन बनाम भारत सरकार तथा आई०ए० नं० 1000 (2003) में दिनांक 03.06.2022 को पारित निर्णय के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की पत्र संख्या-1258/पी०ओ० दिनांक 04.06.2022 के अनुसार ईको सेंसिटिव जोन (Eco Sensitive Zone) के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं०-1777/1(2)Va.Gra.Vi./2002-19(9)/2002 दिनांक 28.10.2002 के अनुसार भी उक्त क्षेत्र "Shivalik Elephant Reserve" का भाग है।

विषयांकित प्रयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र ईको सेंसिटिव जोन एवं शिवालिक एलीफेण्ट रिजर्व क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण निर्माण कार्य से पूर्व राज्य वन्यजीव परिषद एवं राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद की अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन भाग-1 की बिन्दु सं०-I (i) में उक्त प्रस्ताव ईको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत नहीं है, अंकित किया गया है तथा आपके स्तर से भी ऑनलाईन भाग-11 में बिन्दु सं०-08 (iv) परियोजना निर्माण से संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है एवं बिन्दु सं०-08(v) में संबंधित क्षेत्र में कोई दुर्लभ, लुप्तप्राय एवं विशेष प्रजाति के जीवजंतुओं एवं वनस्पति नहीं होना अंकित किया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव से संबंधित ऑनलाईन भाग-1 एवं 11 में उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण कर ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

दूरसं० 0135-2746934 2741461, फैक्स- 2741630, 2741462 ईमेल: pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या-

1258/P.O

देहरादून, दिनांक,

04 जून 2022

कार्यालय आदेश

मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं० 202 (1995) टी०एन०गोडावर्मन बनाम भारत सरकार तथा आई०ए०सं० 1000 (2003) एवं आई०ए० में दिनांक- 03 जून 2022 को पारित निर्णय की प्रति संलग्न की जा रही है। मा०सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जन्तु अभ्यारण्य) की सीमा के 01 कि०मी० की परिधि तक इको सेंसिटिव जोन (Eco Sensitive Zone) घोषित करने के आदेश हैं।

इस क्रम में उत्तराखण्ड में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जन्तु अभ्यारण्य) की सीमा से 1 कि०मी० की परिधि को इको सेंसिटिव जोन (Eco Sensitive Zone) हेतु चिह्नित किया जाना है। इस हेतु सेटेलाइट इमेजरी, ड्रोन मैपिंग का उपयोग करते हुये प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन हेतु मानचित्र मय क्षेत्र वर्गीकरण तथा उक्त प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन में विविध अवस्थापनाओं का विवरण तैयार कर मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया जाना है।

मुख्य वन संरक्षक, मूल्यांकन, आई०टी० उपरोक्त कार्य का प्रारम्भिक प्रतिवेदन एक माह के अन्तर्गत तैयार कर उपलब्ध करायेगें तदनुसार प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन स्थित विविध अवस्थापनाओं की रिपोर्ट तैयार कर परीक्षणोपरान्त आवश्यक संशोधन कर उक्त रिपोर्ट समयान्तर्गत मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सके।

संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जन्तु अभ्यारण्य) के अन्तर्गत भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत यदि इस कार्यवाही के सम्पादन में किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता हो तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड से आवश्यकतानुसार अनुमति प्राप्त की जाय।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड इस कार्य के सम्पादन में अपना पूर्ण सहयोग मुख्य वन संरक्षक, आई०टी० को प्रदान करेंगे।
संलग्न-यथोपरि।

कार्यालय नि० सं० टा० रि०

पंजीकृत क्रमांक.....12177

पत्रावली संख्या.....1-12

दिनांक.....09/06/22

मा० का० करे

आख्या देवे।

WSP
(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF)

उत्तराखण्ड

निदेशक

Govt. of Uttarakhand
Forests & Environment Section-2
No. 1777/1(2) Va. Gra. VI./2002-19(0)/2002
Dehradun: Dated : Oct. 28 2002

NOTIFICATION

In pursuance of the approval given by the Ministry of Environment & Forests, Govt. of India vide letter no. 7-2/00(11), dated 14.2.2002, the Governor is pleased to declare the areas scheduled below to be 'Shivalik Elephant Reserve'.

Schedule

(A) Area and Districts

		Area	
		5405.07 km ²	
		Districts	Dehradun, Haridwar, Garhwal, Nainital, Udham Singh Nagar and Champawat
		Forest Area (km ²)	
Dehradun	Forest Division		99.07
	Kalsi Forest Division		369.52
	Dehradun Forest Division		236.40
Haridwar	Rajaji National Park		159.38
	Haridwar Forest Division		333.62
Garhwal	Rajaji National Park		250.40
	Rajaji National Park		376.42
	Lansdowne Forest Division		606.60
	Kalagarh Tiger Reserve Division (Corbett Tiger Reserve)		350.40
	Ramnagar Tiger Reserve Division (Corbett Tiger Reserve)		311.00
Nainital	Ramnagar Tiger Reserve Division (Corbett Tiger Reserve)		187.26
	Tarai East Forest Division		292.54
	Ramnagar Forest Division		192.38
Almora	Tarai Central Forest Division		674.01
	Haldwani Forest Division		20.00
Udham Singh Nagar	Kalagarh Tiger Reserve Division (Corbett Tiger Reserve)		105.29
	Tarai West Forest Division		288.33
	Tarai East Forest Division		207.15
	Tarai Central Forest Division		

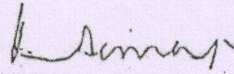
Tehri	Narendra Nagar Forest Division	194.32
Champawat	Champawat Forest Division	148.78
Total		5405.07

Total Area 5405.07 km²
 Non Forest Area Nil
 Forest Area 5405.07 km²

(II) Description of Boundaries

- 1- Core Area : This will include Rajaji National Park, Corbett National Park and Sonanadi Wildlife Sanctuary.
- 2- Buffer Area: This will include the following areas:

Circle/Division	Forest Ranges
Kalsi Soil Conservation Div.	Timli
Dehradun Forest Division	Asarodli, Mallan, Thano, Lachhiwala, Bankot & Rishikesh
Hrudwar Forest Division	Shyanpur & Chiriyapur
Lalduwne Forest Division	Laldhung, Koldwar, Kotari & Dugadda
Parai West Forest Division	North Jaspur & South Jaspur
Parai East Forest Division	Gaula, Kishanpur, Ransali, South Jaulasal, Kilpura, Dauli
Gumungar Forest Division	Kosi, Kota, Dechori, Kaladhungi, Fatehpur
Parai Central Forest Division	Gadgadia, Bhakhra, Tanda, Pipal Parao, Ualdwani, Barhami
Lakhyan Forest Division	Chakata, Nandhaur, Danda, Jaulasal, Sharda
Champawat Forest Division	Boom and Dogari
Narendra Nagar Forest Division	Shivpuri
Corbett Tiger Reserve	Other Reserved Forest except the boundaries of Corbett National Park & Sonanadi Wildlife Sanctuary


 (Keshav Desiraju)
 Secretary